



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP02547933618722V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP02547933618722V
 Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 12:22 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14447004/ KERAKAT/ UP-JNP
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1444700400710688767757V
 Purchased by : ADDHYAKSH SACHIV CHANDRAWATI DEVI JHARKHNDEY SINGH
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ADDHYAKSH SACHIV CHANDRAWATI DEVI JHARKHNDEY SINGH
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : ADDHYAKSH SACHIV CHANDRAWATI DEVI JHARKHNDEY SINGH
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Signature

Yogendra Yadav
 Acc Name- Yogendra Yadav
 Acc Code-UP14447004
 Acc No- Shaheedbagh, Kerakat, Jaunpur
 Licence No.-321
 Mob. No.-7268843165
 Tahsil-Kerakat Dist. Jaunpur

शपथ-पत्र

हम वरुण कुमार सिंह (अध्यक्ष) एवं ओंकार सिंह (सचिव) कमशः अध्यक्ष एवं सचिव चन्द्रावती देवी झारखण्डे सिंह स्मृति ट्रस्ट, शिवरामपुर खुर्द, रतनपुर, केराकत, जौनपुर (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा जनता कॉलेज ऑफ फार्मेसी रतनपुर, केराकत, जौनपुर (संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम रतनपुर, केराकत, जौनपुर (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 89 रकबा कमशः 0.810 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।


.....2


Disclaimer:




1. The validity of the digital certificate should be verified at www.e-stamp.gov.in using the Digital Mobile No. of the Issuing Authority.
 2. The validity of the digital certificate should be verified at www.e-stamp.gov.in using the Digital Mobile No. of the Issuing Authority.
 3. The validity of the digital certificate should be verified at www.e-stamp.gov.in using the Digital Mobile No. of the Issuing Authority.
 4. The validity of the digital certificate should be verified at www.e-stamp.gov.in using the Digital Mobile No. of the Issuing Authority.

(2)


4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 89 रकबा क्रमशः 0.810 हेक्टेयर(कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर)पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 28.07.2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।




HO सदिव
SECRETARY
Chandrawati Devi Jharkhande Singh Smriti Trust
Shivrampur (Khurd), Ratanapur, Korakal
Jaunpur (U.P.)

Solemnly affirmed on oath before me on
5 (1) Notary Act of 1952 between.....
A.M./P.M. The tenant
identified by 
united the 
which was read
by 


Anil Kumar, Advocate
Notary Korakal-Jaunpur


HO अध्यक्ष
PRESIDENT
Chandrawati Devi Jharkhande Singh Smriti Trust
Shivrampur (Khurd), Ratanapur, Korakal
Jaunpur (U.P.)

